न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 05/2017 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. भगवत सिंह पिता कुन्दनसिंह राजपुत निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1. भंवरसिंह पिता कुन्दनसिंह राजपुत निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. लादुसिंह पिता कुन्दनसिंह राजपुत निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. कैलाश कंवर पुत्री कुन्दनसिंह राजपुत निवासी खुटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4. बैंक आफ बडोदा शाखा आशाहोली जरिये शाखा प्रबन्धक आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाडा (राज.)

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत इन्द्राज दुरूस्ती(धाराः136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट..)</u>

उपस्थित

1. – फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 15.05.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प नारायणखेडा मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खुटिया पटवार हल्का नारायण खेडा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी एवं विपक्षी सख्या 01 लगायत 03 के सामलाती खातेदारी की कर्षि आराजी संख्या 229 रकबा 2.12 है0, आराजी संख्या 295 रकबा 1.06 हे0, आराजी संख्या 395 रकबा 1.13 है0, आराजी संख्या 397 रकबा 0.04 हे0, आराजी संख्या 560 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 572 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 573 रकबा 6.55 है0, भूमि कुल किता 07 कुल रकबा 10.96 हे0, खाता संख्या 179 पर दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार ग्राम खुटिया मे आराजी संख्या 394 रकबा 0.16 हे0, आराजी सख्या 396 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 398 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 401 रकबा 0.37 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.95 हे0 भूमि खाता संख्या 121 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण मे जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 प्रस्तुत है। विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 प्रार्थी के सगे भाई व बहिन है जिनके पिता कुन्दन सिंह पिता भभूत सिंह थे। कालान्तर मे उनकी मृत्यु होने से उनके विधिक वारिसान के नाम नामान्तरण खोला गया तथा जमाबंदी में वारिसों का नाम अंकित किया गया जिसमे प्रार्थी भगवतसिंह का नाम खाता संख्या 179 में भगवानसिंह दर्ज कर दिया जब कि वास्तव में प्रार्थी का नाम भगवतसिंह ही है। प्रार्थी का खाता संख्या 121 मे नाम सही अंकिन किया गया खाता संख्या 179 मे गलत दर्ज कर दिया जिसे प्रार्थी पुनः दुरस्त करना चाहता है प्रार्थी की पहचान मे राजकीय दस्तावेज जिसमे खाता सख्या 121 की जमाबंदी परिवार का राशनकार्ड, आधारकार्ड, भारत निवार्चन आयोग का पहचान पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थी का नाम वास्तव में भगवतसिंह ही है तथा अन्य दस्तावेजों में भी प्रार्थी का नाम भगवत सिंह दर्ज है लेकिन त्रुटिवश खाता संख्या 179 में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज हो गया जिसे प्रार्थी पुनः दुरस्त कराने का अधिकारी है इस हेतु इन्द्राज दुरस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 सह खातेदार होने से एवं विपक्षी संख्या 04 के रहन का इन्द्राज विपक्षी भंवरसिह के हिस्से पर होने से एवं विपक्षी संख्या 5 भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकार है जिन्हे विपक्षीगण बनाया गया है। प्रार्थी को दिनांक 20/04/2017 को जमाबंदी की जानकारी करने पर पता चला कि प्रार्थी का नाम गलत अंकित है बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 20.04.2017 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 03.05.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 01 से 04 बावजूद सूचना के उपस्थित नही है। अतः इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की जाती है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम भगवान सिंह से भगवत सिंह दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

ग्राम खुटिया पटवार हल्का नारायण खेडा तहसील रायपुर के खाता संख्या 179 में प्रार्थी का नाम भगवानसिंह पिता कुन्दन सिंह के बजाय भगवत सिंह पिता कुन्दन सिंह का नाम दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है।

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 15.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

15/5/17

... जिनके पिता

कुन्दनसिंह पिता भभुतसिंह थे। कालान्तर मे उनकी मृत्यु होने से उनके विधिक वारिसान के